

Participants : [Bhargav Shri Girdhari Lal](#)

an>

Title: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) :अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा भारत की ही नहीं वरन् विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक है। 16 करोड़ लोगों की यह मात्र भाषा राजस्थान प्रदेश की प्रतीक है। राजस्थानी भाषा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्रों से बराबर राजस्थानी भाषा के कार्यक्रम प्रकाशित किए जा रहे हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। राजस्थानी भाषा का 1200 वां पुराना समृद्ध साहित्य, इतिहास विश्व प्रसिद्ध जिसमें वीरता, श्रृंगार, भक्ति, करुणा सहित नौ रसों में लाखों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। जिनमें से पांच लाख पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण इसका पूर्ण विकास एवं संवर्द्धन नहीं हो पाया है। इसका विशाल शब्द कोश लोकगीत, लोक कथाएं, लोग गाथाएं एवं कहावतें दुनिया की किसी भी भाषा से कम नहीं हैं। केन्द्रीय साहित्य अकादमी जो भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए काम कर रही है उसमें राजस्थानी भाषा भी शामिल है। राजस्थान विधान सभा की ओर से 25 अगस्त, 2003 को सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करके 16 करोड़ राजस्थानी भाषियों की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। राजस्थानी भाषा के मान्यता के लिए पिछले 50 वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। जिस पर सरकार को ध्यान देकर अतिशीघ्र संवैधानिक मान्यता का निर्णय लेना भारत देश एवं राजस्थान प्रदेश के लिए हित में होगा।